

FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)

(नियम 28)

सहायक कलक्टर

(एच. डी. प्रो.) जामस (नागौर)

सहायक

बनाम

सांग सिंह

किसम

रा. प्रार्थना-पत्र

संख्या

104/2014

वर्ष

2014

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट

19/14

प्रार्थी ने जरिअे अलिमामतु प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 212 RTI Act के तहत पेश किया है प्रकरण दर्ज शिर्स्टर किया जाकर अंशुधर्मजालो को सम्मन जारी हो। प्रवावली दिनांक 20/04/14 से पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एच. डी. प्रो.) जामस (नागौर)

न्यायालय/अहकाम के आधवल

21/04

पिठानोके पत्रिके को भी निटके प्रार्थना-पत्र सम्मन पत्र के साथ ही, हुनाके प्रकरण नकल सम्मन पत्र 18/12/14- सं

18/11/14

न्यायालय/अहकाम के आधवल

सम्मन प्राप्त

संख्या 18/11/14- सं
पत्रिके तमय दिनांक 21/11/14- सं
पत्रिके संख्या

21/11/14- वकील प्रार्थी उपन. प्रार्थी सं. 3 का नोटिस बाद तमय तत तारीख प्रार्थी पर प्राप्त हो चुका है

ख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
---	--	-----------------------------------

पक्षकार/पक्षकारान के अतिवक्ता
 23.10.17
 पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्बन्ध दिनांक. 13.11.12....को प्रस्तुत करें। डा.

पक्षकार/पक्षकारान के अतिवक्ता
 13.11.17
 पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्बन्ध दिनांक. 13.12.17....को प्रस्तुत करें। डा.

पक्षकार/पक्षकारान के अतिवक्ता
 13.12.17
 पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्बन्ध दिनांक. 26.2.18....को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अतिवक्ता
 26-2-18
 पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके सम्बन्ध दिनांक. 21.3.18....को प्रस्तुत करें। डा.

21.3.18

वकील डा. श्री ने दूर वाड में डा. रीना का पेश कट डा. श्री व अर्थात् गिण में राजीनामा होने के कारण पञ्जावली आज पेशी पर लेने का निवेदन किया जिस डा. रीना पत्र को दूर वाड में स्वीकार कट दूर वाड की पञ्जावली को आज पेशी पर ली गई जिस के बाद में डा. रीना पत्र की पञ्जावली को भी आज पेशी पर ली गई। दूर वाड में राजीनामा होने के कारण वकील डा. श्री ने डा. रीना पत्र में नोट प्रेस कट निवेदन किया कि अर्थात् गिण डा. रीना पत्र को आज नरी

Not present
 डा. श्री का पत्र

चलाना चाहते हैं इसलिए जरिये
विशेष प्रार्थना पत्र को स्वारीज किया
जावे। वकील प्रार्थी के द्वारा नोट, पेस
करने के कारण प्रार्थना पत्र को
जरिये विशेष स्वारीज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम होकर
दफ्तर दाखिल हो।

